

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**भारतीय मानक ब्यूरो**  
**Southern Regional Office**  
**दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय**  
**IVth Cross Road, Taramani, Chennai-600 113.**  
**चतुर्थ क्रॉस रोड, तारामणि, चेन्नई-600 113.**

**शुद्धिपत्र**

निविदा संदर्भ सं.-एसआरओ/एडमिन/एचएच/2022

ऊटी / कोडाइकनाल / मुन्नार में से किसी एक स्थान पर हॉलिडे होम की स्थापना के लिए आवास प्रदान करने के लिए जारी किए गए निविदा दस्तावेज के निम्नलिखित खंड को निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए :

**अनुसूची -2 का खंड संख्या 7.2**

लीज राशि का भुगतान तिमाही आधार पर सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद किया जाएगा। ब्यूरो द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा बिल की दो प्रतियों तैयार की जाएगी। इस अनुबंध के अंतर्गत आने वाले सभी बिलों और अन्य दावों का भुगतान सीधे ठेकेदार के बैंक खाते में किया जाएगा। भुगतान आयकर अधिनियम, 1961, जीएसटी अधिनियम और किसी भी अन्य प्रचलित अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा अर्थात्, मौजूदा दरों पर उपकर/अधिभार के साथ स्रोत पर कर की कटौती प्रत्येक बिल की सकल राशि से की जाएगी।

(एन. विटोबा)  
उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)  
प्रशासनिक विभाग  
संदर्भ संख्या-एसआरओ/व्यवस्थापक/एचएच/2022

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**Southern Regional Office**  
**IVth Cross Road, Taramani, Chennai-600 113.**

**CORRIGENDUM**

TENDER Ref No.-SRO/Admin/HH/2022

The following clause in the Tender Document for providing accommodation for setting up of a Holiday Homes at any one of the locations i.e. Ooty / Kodaikanal / Munnar. is to be read as follows:

**Clause No.7.2 of schedule -2**

The Payment of lease amount shall be made on quarterly basis after satisfactory performance of services. No advance payment will be made by Bureau. Bills under this contract shall be prepared in duplicate by the Contractor. The payment of bills and other claims arising out of the contract will be made directly in Bank Account of the Contractor. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961, GST act , State Government tax, Local Body Tax and any other prevailing act i.e., Tax will be deducted at source with Cess/Surcharge, at the prevailing rates, from the gross amount of each bill submitted.

(N. Vittoba)  
Deputy Director (Admn. & Finance)  
Administration Department  
Ref No.-SRO/Admin/HH/2022